भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 174

जिसका उत्तर 4 दिसम्बर, 2023/13 अग्रहायण 1945 (शक) को दिया गया

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी)

174. श्री ए. राजा:
श्री ए गणेशमूर्ति:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) और राष्ट्रीयकृत/वाणिज्यिक बैंकों से आवास ऋण लेने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या का अलग-अलग आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कुछ गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां राष्ट्रीयकृत बैंकों की तुलना में आवास ऋणों पर लगभग दोगुनी दर से ब्याज वसूल रही हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और आम आदमी के हितों की रक्षा के लिए ऐसे शोषण करने वाले संस्थाओं के विरुद्ध क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. भागवत कराड)

(क)और (ख) राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) तथा भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा सूचित किए गए अनुसार विगत तीन वर्ष के दौरान गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी), आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) तथा अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (एससीबी) के पास आवास ऋण खातों की संख्या निम्नानुसार है:

वर्ष (31 मार्च की स्थिति के अनुसार)	एचएफसी के आवास ऋणों की संख्या	एससीबी के आवास ऋणों की संख्या*
2021	56,67,619	1,01,13,778
2022	61,39,126	1,09,53,257
2023	65,45,049	1,17,82,223

* क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर

(ग) और (घ) आरबीआई द्वारा दी गई सूचना के अनुसार वे एनबीएफसी/एचएफसी द्वारा उधारकर्ताओं से प्रभारित किए जाने वाले ब्याज दरों को निर्धारित नहीं करते हैं। उन्होंने आगे उल्लेख किया है कि जबकि एनबीएफसी/एचएफसी को ऋण संबंधी मामलों जैसे कि ऋण पर प्रभारित ब्याज दर, अन्य प्रयोज्य प्रभार, ऋणों के प्रकार, ऋण मूल्याकंन/संवितरण/पूनर्भुगतान/वसूली इत्यादि से संबंधित निर्णय लेने के लिए परिचालनात्मक स्वतंत्रता प्राप्त है तथापि आरबीआई ने उधारकर्ताओं पर प्रभारित होने वाले ब्याज दर के संबंध में एनबीएफसी/एचएफसी के लिए प्रयोज्य विभिन्न दिशानिर्देश/मानदंड जारी किए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल है:

(i) प्रत्येक एनबीएफसी/एचएफसी के बोर्ड से यह अपेक्षित है कि वे निधियों की लागत, मार्जिन तथा जोखिम प्रीमियम जैसे संगत कारकों को ध्यान में रखते हुए ब्याज दर मॉडल अपनाएं तथा ऋणों और अग्रिमों पर प्रभारित होने वाले ब्याज दर को निर्धारित करें। ब्याज दर तथा जोखिम के ग्रेड को निर्धारित करने संबंधी पद्धति तथा विभिन्न श्रेणी के उधारकर्ताओं पर प्रभारित होने वाले अलग-अलग ब्याज दर के कारणों की जानकारी आवेदन प्रपत्र में उधारकर्ता अथवा ग्राहकों को दी जाए तथा स्वीकृति पत्र में इसे स्पष्ट रूप से दर्शाया जाए।

(ii) ब्याज दरों तथा जोखिम के ग्रेड को निर्धारित करने संबंधी पद्धति को एनबीएफसी की वेबसाइट पर भी दर्शाया जाए अथवा प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाए।जब कभी ब्याज दरों में कोई परिवर्तन हो वेबसाइट अथवा अन्यथा प्रकाशित सूचना को अद्यतन किया जाए । ब्याज दर एक वार्षिकीकृत दर हो ताकि उधार कर्ता को खाते पर प्रभारित की जाने वाली वास्तविक दर की जानकारी हो ।

(iii) आरबीआई ने उचित व्यवहार संहिता तैयार की है जिनका एनएफसी द्वारा अनुपालन किया जाना है तथा प्रभारित किए जा रहे ब्याज दर की जानकारी उधारकर्ता की समझ में आने वाली स्थानीय भाषा में, पारदर्शी रूप से उन्हें दी जाए।

(iv) ग्राहकों की हितों की रक्षा के लिए शिकायत निवारण प्रक्रिया भी तैयार की गई है ताकि ग्राहकों की शिकायतों का समुचित रूप से समाधान हो सके। यदि एनबीएफसी/एचएफसी के विरूद्ध शिकायतों का निवारण एक माह की अवधि के भीतर नहीं किया जाता है तो ग्राहक शिकायत निवारण हेतु आरबीआई लोकपाल/एनएचबी से संपर्क कर सकते है।

*****